

निदेशालय : राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.42/अधि./संस्था/बीमा/2017/

दिनांक :

आदेश 426

28 DEC 2017

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के अन्तर्गत विभाग के निम्नांकित अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.01.2016 का विकल्प प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप इनको प्रक्रियानुसार अनुमोदित वेतन नियतन के आधार पर निम्नानुसार वेतन पाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी एवं पद	पे बैंड एवं ग्रेड पे	पे बैंड एवं ग्रेड पे स्वीकृति दिनांक एवं आधार	दिनांक 01.01.2016 को पूर्व निर्धारित वेतन	सातवें वेतनमान में मेट्रिक्स लेवल	दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतनमान में निर्धारित वेतन	दिनांक 01.07.2016 को देय वेतन वृद्धि पश्चात वेतन	दिनांक 01.07.2017 को देय वेतन वृद्धि पश्चात वेतन
1.	श्री रामावतार सांवरिया, वित्तीय सलाहकार	37400-67000 ग्रेड पे 8700	01.04.2012 पदोन्नति	51910	L-21	134500	138500	142700
2.	श्री धनलाल शोरावत, अतिरिक्त निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 8700	01.04.2013 पदोन्नति	50390	L-21	130600	134500	138500
3.	श्री अमित जौहरी, अतिरिक्त निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 8700	01.04.2013 पदोन्नति	50390	L-21	130600	134500	138500
4.	श्री संजीव परमार, अति. निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 8700	01.04.2015 पदोन्नति	47490	L-21	123100	126800	130600
5.	श्री संजय बंसल अतिरिक्त निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 8700	01.04.2015 पदोन्नति	47490	L-21	123100	126800	130600
6.	श्री योगमित्र दिनकर, संयुक्त निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 7600	08.08.2014 पदोन्नति	38170	L-19	98300	101200	104200
7.	श्री बलराम स्वर्णकार, संयुक्त निदेशक	15600-39100 ग्रेड पे 7600	08.08.2013 पदोन्नति	37460	L-19	98300	101200	104200
8.	श्री रामपाल परसोया, संयुक्त निदेशक	37400-67000 ग्रेड पे 7600	01.04.2015 पदोन्नति	37370	L-19	98300	101200	104200
9.	श्री द्वारका प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी प्रथम	9300-34800 ग्रेड पे 5400	01.07.2013 पदोन्नति	29100	L-13	75600	77900	80200
10.	श्री राजेश गुप्ता, सिस्टम एनालिस्ट	15600-39100 ग्रेड पे 7200	21.07.2015 पदोन्नति	34420	L-18	89900	92600	95400

उक्त वेतन निर्धारण का लाभ दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक काल्पनिक एवं दिनांक 01.01.2017 से 30.09.2017 तक का एरियर भुगतान (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के नियमानुसार देय होगा। कम संख्या 7 पर अंकित अधिकारी को छोड़कर शेष अधिकारियों को आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2018 को नियमानुसार देय होगी।

यह आदेश पूर्व में निर्धारित वेतन निर्धारण एवं वेतन वृद्धि आदेश के अतिक्रमण में जारी किये जाते हैं।

अतिरिक्त निदेशक

(Signature)
28/12/17

क्रमांक : प.42/अधि./संस्था/बीमा/2017/ 8343 - 55 दिनांक :

28 DEC 2017

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय) राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, जयपुर।
3. संबंधित अधिकारी।
4. सहायक लेखाधिकारी प्रथम लेखाशाखा, मुख्यालय, जयपुर।
5. सेवा पुस्तिका लिपिक, मुख्यालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

20
(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय).